RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी थाने के सामने, जयपुर
वेबसाईट– www.tourism.rajasthan.gov.in

आवेदन पत्र भरने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं सूचना

इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय स्तर एवं राज्य स्तरीय गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में भाग लेने हेतु आवेदन करने से पूर्व आवेदक निम्न दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़कर अपना आवेदन करें।

1. 5000 स्थानीय स्तर एवं 1000 राज्य स्तरीय गाइडों के अनुज्ञापन के लिए राज्य सरकार के राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) (संशोधन) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये नियम इस पोर्टल पर अपलोड किये गये हैं।
2. पर्यटन गाइडों का चयन और प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें स्व–नियोजन के लिए तैयार करना है।
3. प्रशिक्षण के दौरान अथवा बाद में राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का रोजगार या रोजगार भत्ता देय नहीं होगा।
4. आवेदन शुल्क ऑनलाइन आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरने के बाद ऑनलाइन ही आवेदक द्वारा जमा कराना होगा। एक बार जमा होने के बाद यह शुल्क लौटाया नहीं जा सकेगा।
5. विभाग द्वारा स्थानीय स्तर एवं राज्य स्तर गाइड दोनों स्तरों की परीक्षाएं निर्धारित केन्द्रों पर एक ही दिन में 2 से 3 घंटे के अन्तराल पर पृथक–पृथक आयोजित की जायेगी।
6. लिखित परीक्षा के संबंध में अन्य जानकारी यथा परीक्षा केन्द्र, परीक्षा की तिथि, समय, प्रवेश पत्र आदि की सूचना यथा समय इस पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
7. प्रशिक्षण सीटों में आरक्षण राज्य सरकार द्वारा मान्य प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार देय होगा

<u>लम्बवत आरक्षण देयता</u>

अनु. जाति	अनु. जनजाति	पिछड़ा वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग	आर्थिक कमजोर वर्ग
16%	12%	21%	5%	10%

इसी प्रकार विशेष योग्यजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं (विधवा, परित्यक्ता सहित) को आरक्षण राज्य सरकार द्वारा मान्य प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार देय होगा।

<u>क्षैतिज आरक्षण देयता (जो उपरोक्त लम्बवत आरक्षण में प्रत्येक वर्ग में देय होगा)</u>

महिला	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
30%	12.5%	2%

8. उपरोक्त आरक्षण स्थानीय स्तर के गाईडों के लिए उनके जिला/जिला समूह से प्राप्त किये गये आवेदनों पर लागू होगा। अर्थात् 14 जिला/जिला समूहों के सफल आवेदकों के लिए, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 14 पृथक–पृथक वर्गवार वरीयता सूची जारी की जायेगी।
9. राज्य स्तरीय गाइडों के लिए उपरोक्तानुसार पूरे राज्य के सफल आवेदकों की वर्गवार वरीयता सूची जारी की जायेगी।
10. दोनों स्तर के गाइडों की कुल प्रशिक्षण सीटों का वर्गवार विवरण विस्तृत नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है।
11. आरक्षण देयता एवं बोनस अंको के देयता के संबंध में और जानकारी के लिए गाइड चयन एवं प्रशिक्षण नियमों में उल्लेखित प्रावधानों को देखा जा सकता है।
12. उपरोक्त आरक्षण का लाभ उसी परिस्थिति में प्राप्त होगा जब आवेदक ने नियमुसार तत्सम्बंधी लागू प्रमाण–पत्र आवेदन में निर्धारित स्थान पर संलग्न (अपलोड) कर दिया होगा।
13. गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में किसी भी चरण में अथवा उसके उपरांत भी यदि विभाग को ज्ञात होता है कि आवेदक ने आवश्यक/वांछित प्रमाण पत्र और सूचनाएं गलत भरी है अथवा कोई जानकारी छिपाया है तो उसका चयन/अनुज्ञापन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
14. आवेदकों को परीक्षा की तिथि, परीक्षा केन्द्र की सूचना से पृथक से अवगत कराया जायेगा। [परीक्षा केन्द्र सामान्यतः आवेदक के मूल निवास के जिले/मूल निवास के से संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र के जिला मुख्यालय पर आवंटित किया जायेगा।]

क्र. सं.	संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र/परीक्षा केन्द्र	दूरभाष नं.	स्थानीय स्तर गाइड प्रशिक्षण हेतु संबंधित अधीनस्थ जिले	कुल प्रशिक्षण सीट
1	अजमेर	0145–2627426	(अजमेर,नागौर, भीलवाड़ा)	200
2	अलवर	0144–2347348	(अलवर)	100
3	भरतपुर	05644–222542	(भरतपुर, धौलपुर)	200
4	बीकानेर	0151–2226701	(बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़)	250
5	चित्तौड़गढ़	1472–241089	(चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़)	200
6	जयपुर	0141–2822863	(जयपुर, दौसा)	1500
7	जोधपुर	0291–2545083	(जोधपुर, पाली)	850
8	जैसलमेर	02992–252406	(जैसलमेर, बाड़मेर)	650
9	झुन्झुनू	01592–232909	(झुन्झुनू, सीकर, चूरू)	200
10	कोटा	0744–2327695	(कोटा, बूंदी)	70
11	झालावाड़	07432–230081	(झालावाड़, बारां)	50
12	माउंट आबू (सिरोही)	02974–235151	(सिरोही, जालौर)	100
13	सवाई माधोपुर	07462–220808	(सवाई माधोपुर, टोंक करौली)	100
14	उदयपुर	0294–2411535	(उदयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, डूंगरपुर)	530
कुल				5000

15. दोनों स्तर की लिखित परीक्षाएं बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के रूप में होगी, जो राज्य की पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा स्थानीय पर्यटक स्थलों पर आधारित होगी।
16. लिखित परीक्षाएं बहुविकल्पात्मक प्रकार की होगी जिसमें 90 अंकों के प्रश्न पूछे जायेंगे तथा विदेशी भाषा में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अथवा भारत की आठवीं सूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में प्रमाण पत्र हेतु अधिकतम 10 अंक प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार मेरिट कुल 100 अंकों के आधार पर जारी की जायेगी।
17. लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की पारस्परिक मैरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः–
    (i) जन्म तिथि के आधार पर, आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
    (ii) जन्म तिथि एवं लिखित परीक्षा के अंक भी समान पाये जाने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता पहले धारण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

18. परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आवेदन पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।
19. आवेदक यदि स्थानीय एवं राज्य स्तर दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए चयन सूची में स्थान प्राप्त करता है तो उसे राज्य स्तरीय गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम में ही प्रशिक्षित किया जायेगा।
20. राज्य में राजकीय मान्यूमेन्ट एवं अन्य विनिर्दिष्ट स्थलो पर गाइडिंग कार्य राज्य सरकार द्वारा विरचित विभिन्न शर्तों के अधीन ही किया जा सकेगा।
21. अपूर्ण आवेदनों को अथवा निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज अपलोड किये जाने पर बिना किसी सूचना दिए आवेदन निरस्त करने के अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
22. जन्म तिथि के प्रमाण के लिए दसवीं उत्तीर्ण आवेदक की दसवीं परीक्षा की संबंधित बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिका/प्रमाण पत्र को आधार माना जायेगा। स्थानीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के आवेदक जो दसवीं उर्त्तीण नहीं है उनके जन्म तिथि के प्रमाणन हेतु राज्य के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
23. स्थानीय स्तर के गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी के मूल निवास प्रमाण–पत्र (Domicile Certificate) में उल्लेखित जिला/जिला समूह के लिए ही आवेदन मान्य होगा तथा सफल अभ्यर्थी इसी जिला/जिला समूह में गाइडिंग कार्य हेतु अधिकृत होगा।
24. ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाईट www.tourism.rajasthan.gov.in एवं वेबसाइट www.ihmjaipur.com पर उपलब्ध लिंक www.rajguidetraining2022.in पोर्टल पर देखे जा सकते हैं।
25. इस गाइड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में समय समय पर www.rajguidetraining2022.in पोर्टल पर आवश्यक दिशा निर्देश अपलोड किये जायेंगे, अतः आवेदक नियमित अन्तराल पर इस पोर्टल को देखें।
26. यदि आवेदक पहले से ही पर्यटन विभाग द्वारा जारी स्थानीय स्तर गाइड के रूप में पंजीकृत है तो उसे राज्य स्तरीय गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफल होने के उपरांत स्थानीय स्तर का परिचय पत्र Surrender करना होगा।